अध्याय XIII : योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

13.1 स्टांप शुल्क के रूप में ₹1.95 करोड़ का परिहार्य भुगतान

संविधा के अंतर्गत प्रदत्त स्टापं शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने में भा.वि.प.प्रा. की विफलता, ₹1.95 करोड़ के परिहार्य भुगतान में परिणत हुई।

भारतीय स्टांप शुल्क अधिनियम, 1899 के धारा 3 के प्रावधान 1 के अनुसार किसी भी ऐसे दस्तावेजों के संबंध में जिसका निष्पादन सरकार के द्वारा, अथवा सरकार की ओर से, अथवा सरकार के लिए होता है उन मामलों में, कोई स्टांप शुल्क प्रभारित नहीं होगा, परन्तु इस छूट के लिए ऐसे दस्तावेजों के संबंध में प्रभारित शुल्क के भुगतान की उत्तरदायी सरकार होगी।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारण (भा.वि.प.प्रा), की स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत के निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्याएं जारी करने के लिए की गयी थी। भा.वि.प.प्रा. की भा.स. को जनवरी 2009 की अधिसूचना के माध्यम से योजना आयोग के संरक्षण के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय के रूप में गठित एवं अधिसूचित किया गया था। भा.वि.प.प्रा. के दो केन्द्रीय पहचान डाटा कोषों (के.प.डा.के.)[1] एक बंगलुरू और दूसरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, का निर्माण करने के लिए अधिदेशित किया गया था। बंगलुरू विकास प्राधिकरण ने (मार्च 2011) भा.वि.प.प्रा. को कोडिगहल्ली, बंगलुरू में 12,372.40 वर्ग मीटर माप की भूमि 30 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर आवंटित किया। तदनंतर (नवम्बर 2011), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लि. (ह.रा.औ.वि.नि.) ने मानेसर, गुड़गांव में 20,700 वर्ग मी. माप की एक अन्य जमीन भा.वि.प.प्रा. को आवंटित की।

---

[1] के.प.डा.के. यह सत्यापित करता है कि प्रस्तुत किया गया डाटा, उसके पास उपलब्ध डाटा से मेल खाता है या नहीं।

भा.वि.प.प्रा. ने (जून 2011, जून 2012 एवं जनवरी 2013) ₹1.95 करोड़ की कुल राशि उन भूखण्डों के हस्तांतरण विलेखों के निपटान हेतु स्टांप शुल्क के रूप में अदा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.वि.प.प्रा., एक सरकारी संगठन होने के कारण, संविधि के अंतर्गत प्रदत्त स्टांप शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त करने का अधिकारी था।

यह इंगित करने पर, भा.वि.प.प्रा. ने बताया (जुलाई 2013) कि इसने संबंधित राज्यों के महा अधीक्षक पंजीकरण एवं स्टांप नियंत्रक (म.नि.पं.) से इस कार्यालय द्वारा अदा पंजीकरण प्रभारों की राशि को लौटाने का अनुरोध किया है।

इस प्रकार, भा.वि.प.प्रा. के मौजूदा प्रावधानों के साथ नहीं चलने के कारण स्टांप शुल्क के रूप में ₹1.95 करोड़ का परिहार्य भुगतान में हुआ।

13.2 निधियों का समयपूर्व जारी किया जाना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में निधियों की शीघ्र आवश्यकता का आकलन किए बिना तथा कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (इं.इं.लि.) को समयपूर्व निधियों जारी कर दी थी। इं.इं.लि. द्वारा समय पर जारी की गई निधियों का निवेश सावधि जमा में नहीं किया गया था जिसके कारण ₹1.20 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा सभी वित्तीय सलाहकारों/मुख्यलेखा नियंत्रक को जारी किए गए दिशानिर्देशों (दिसम्बर 2006) के अनुसार, केवल वास्तव में प्रापण की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए वर्ष के अंतिम माह के दौरान भुगतान किया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों में आगे निर्धारित किया गया था कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान अग्रिम में कोई राशि जारी नहीं की जानी चाहिए।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा.) ने ₹300 करोड़ की अनुमानित लागत पर भा.वि.प.प्रा. मुख्यालय तथा डाटा केन्द्रों[2] के निर्माण

[2] बैंगलुरू एवं मानेसर में

परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाओं हेतु इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (इं.इं.लि.) के साथ अनुबंध किया (मार्च 2011) था। भा.वि.प.प्रा. ने 30 मार्च 2011 को अग्रिम के रूप में इं.इं.लि. को ₹38 करोड़ जारी किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.वि.प.प्रा. द्वारा बैंगलुरू एवं मानेसर पर डाटा केन्द्रों के निर्माण हेतु जमीन के टुकडे क्रमश: जून 2011 तथा नवम्बर 2011 में प्राप्त किए गए थे, जबकि भा.वि.प.प्रा. मुख्यालय हेतु भूमि मई 2012 में प्राप्त की गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इं.इं.लि. द्वारा बैंगलुरू एवं मानेसर में डाटा केन्द्रों के लिए निर्माण आदेश ठेकेदार को अगस्त 2012 के बाद ही दिए गए थे जबकि भा.वि.प.प्रा. मुख्यालय के लिए निर्माण आदेश दिया जाना शेष था (जून 2014)। इस प्रकार, निर्माण कार्य आदेश को जारी किए जाने से 17 माह पूर्व ही भा.वि.प.प्रा. द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाना, अनुबंध की शर्तों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का भी उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, परियोजना को शुरू करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरण की तैयारी का अनुमान लगाए बिना ही निधियों को जारी कर दिया गया था। ये तथ्य दर्शाते हैं कि केवल बजटीय प्रावधानों की चूक से बचने के लिए निधियों को जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, इं.इं.लि. द्वारा परियोजना पर अर्जित ब्याज को परियोजना खाते में क्रेडिट किया जाना था। अनुबंध ने इं.इं.लि. को आधिक्य निधियों को सावधि जमा में रखने के लिए अधिकृत किया था। भा.वि.प.प्रा. ने 30 मार्च 2011 को ₹38 करोड़ का अग्रिम जारी किया था तथा 7 अप्रैल 2011 को इं.इं.लि. द्वारा निधियां प्राप्त की गई थी। इं.इं.लि. ने इन निधियों में से ₹37.40 करोड़ का निवेश सावधि जमा प्राप्तियों (सा.ज.प्रा.) में केवल 02 सितम्बर 2011 को किया था। सा.ज.प्रा. में

निधियों के निवेश करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹1.20 करोड़[3] की राशि के ब्याज की हानि हुई थी।

भा.वि.प.प्रा. ने अपने उत्तर मे बताया (जनवरी 2014) कि इं.इं.लि. के साथ हुए अनुबंध को के.लो.नि.वि. द्वारा निष्पादित जमा कार्यों के अनुरूप यथार्थत: मॉडल किया गया था। परियोजना की अनुमानित लागत पर आधारित प्रारंभिक जमा को इं.इं.लि. को बिल्कुल उसी प्रकार प्रदान किया गया था जिस प्रकार जमा कार्यों के अंतर्गत के.लो.नि.वि. के पास अग्रिम को जमा किया जाना था। भा.वि.प.प्रा. ने आगे बताया कि भा.वि.प.प्रा. द्वारा जारी की गई निधियों के लिए एक समर्पित परियोजना खाते का अनुरक्षण किया था तथा प्रभावी निरीक्षण प्रदान करने के लिए निधि प्रवाह के संदर्भ में पर्याप्त दृश्यता बनाए रखनी चाहिए। इं.इं.लि. द्वारा समर्पित परियोजना खाता खोलने में बैंक के वर्तमान अ.ग्रा.जा[4]. मानदंडों को पूरा करना, भा.वि.प.प्रा. के टैन स. का प्रावधान, संबोधित स्पष्टीकरण आदि शामिल थे जिनमें समय लगा और इसलिए निवेश केवल सितम्बर 2011 में ही किया जा सका था।

भा.वि.प.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अग्रिम भुगतान को जारी करने के 17 महीनों पश्चात अनुबंधों को जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, बजटीय प्रावधानों की चूक से बचने के लिए 30 मार्च 2011 को इं.इं.लि. खाते में अग्रिम की राशि का अंतरण किया गया था। भा.वि.प.प्रा. का तर्क कि विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु समय की आवश्यकता थी, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इं.इं.लि. के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के पश्चात भा.वि.प.प्रा. ने उसी दिन निधियां जारी कर दी थीं, परन्तु परवर्ती ने निवेश हेतु औपचारिकताओं को पूरा करने में 147 दिनों की अनुचित लंबी अवधि ली थी।

---

[3] 147 दिनों के लिए ₹37.40 करोड़ पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज को परिकलित किया गया है क्योंकि आगे की सा.ज.प्रा. पर इं.इं.लि. को इसी प्रतिशत की दर पर ब्याज की प्राप्ति हुई थी।

[4] अपने ग्राहक को जानिए।

इस प्रकार, भा.वि.प.प्रा. द्वारा वित्त मंत्रालय के प्रचलित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता के कारण इं.इं.लि. को अनियमित रूप से अग्रिम जारी हुए थे। निधियों के निवेश में अपरिहार्य विलंब के परिणामस्वरूप ₹1.20 करोड़ के ब्याज की हानि हुई थी।